मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की पृष्ठभूमि

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप क्रियान्वित किया जाता हैं। प्रदेश में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग नोडल विभाग है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद कार्यक्रम हेतु संपूर्ण नियोजन का दायित्व वहन करती हैं, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम भारत सरकार एवं राज्य शासन के संयुक्त संसाधनों से किया जाता है।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत लक्षित शालाओं के विद्यार्थियों को सभी शैक्षणिक दिवसों में शाला अवधि के दौरान मध्यान्ह भोजन प्रदत्त किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त राज्य शासन के राजस्व विभाग द्वारा सूखा घोषित क्षेत्रो की लक्षित शालाओं में गर्मी की छुट्टियों में भी कार्यक्रम के तहत मध्यान्ह भोजन प्रदत्त किये जाने का प्रावधान है। प्रदेश में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन वर्ष 1995 से प्रारंभ किया गया था,जिसके अंतर्गत समस्त शासकीय एवं शासन से अनुदान प्राप्त प्राथमिक शालाओ के विद्यार्थियों को कच्चा खाद्यान्न वितरित किया जाता था। परन्तु याचिका 196/2001 के अनुक्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार विद्यार्थियों को पके हुए भोजन के रूप में दलिया/खिचडी का वितरण किया जाने लगा।

MIDDAY MEAL

वर्ष 2004 में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का विश्लेषण करने से यह तथ्य प्रकाश में आया कि दलिया/खिचड़ी अरूचिकर होने के कारण विद्यार्थियों में इसे ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती है और इसके फलस्वरूप मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अपने उद्देश्यों के अनुरूप प्रभावशील तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पा रहा था। अतः इस अनुक्रम में राज्य शासनने जनवरी 2004 में यह निर्णय लिया कि प्रदेश में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत अरूचिकर दलिया/खिचडी के स्थान पर विद्यार्थियों को पौष्टिक अपितु रूचिकर मध्यान्ह भोजन वितरित कराया जाये। इस निर्णय के अनुक्रम में प्राथमिक शालाओं के विद्यार्थियों को गरम व पके हुये भोजन देना प्रारंभ किया गया है,जिसके मेनू में समय–समय पर परिवर्तन किया गया है।

शैक्षणिक सत्र 2007 में अक्टूबर से मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का विस्तार रूप से पिछडे विकासखण्डों की शासकीय एवं शासन से अनुदान प्राप्त माध्यमिक शालाओ ंमें भी किया गया भारत सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2008 से प्रदेश की सभी शासकीय एवं शासन से अनुदान प्राप्त माध्यमिक शालाओं में भी मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम लागू हो सकेगा।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का मुख्य उद्वेश्य शालाओं में विद्यार्थियों के नामांकन व उपस्थिति को बढावा और विद्यार्थियों के स्वास्थ तथा पोषण स्तर में सुधार लाना है। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम विद्यार्थियों के सीखने व समझने की क्षमताओं को भी विकसित करने में सहायक है। यह योजना जातिगत भेदभाव, जेण्डर एवं वर्गों के मध्य असमानताओं को दूर करने में भी सहयोगी है।

MID DAY MEAL

आवश्यकता एवं महत्व :

- मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम शालाओ ंमें विद्यार्थियों की दर्ज संख्या में वृद्धि, नियमित उपस्थिति तथा जल्दी शाला छोड़ने की आदत को कम करने में अत्यन्त सहायक है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक स्थिति कमजोर होने के कारण विद्यार्थी में खाली पेट आते हैं। शालाआने से पहले भोजन नहीं करने से विद्यार्थी कक्षा में एकाग्रचित नहीं हो पाते और सो जाते हैं, वे शिक्षा का समुचित लाभ नहीं ले पाते और अन्य विद्यार्थियों से पिछड़ जाते हैं। अतः ऐंसे विद्यार्थियों के लिए मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम उपयोगी कार्यक्रम है।
- मध्यान्ह भोजन के साथ–साथ सीखने की योग्यताओं में सुधार के लिए स्वच्छ पेयजल एवं स्वास्थ्य सेवाएं जैंसे – स्वास्थ परीक्षण ,लौह तत्व की कमी दूर करना ,कृमी निवारण आदि के सहयोग से स्कूल के बच्चों की सीखने की क्षमता एवं योग्यता में काफी सुधार लाया जा सकता है।
- मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम वहां पर अत्यंत उपयोगी है, जिन समुदायों में गरीबी व असमानता के कारण उपेक्षित एवं कुपोषित बच्चो की संख्या अधिक पाई जाती है।

MID DAY MEAL

उद्वेष्य :–

- ❖ शिक्षा का लोक व्यापीकरण

- ❖ शालाओं में पढने वाले छात्रों की दर्ज संख्या में वृद्धि और उपस्थिति में निरन्तरता सुनिशित करना है।
- ❖ शालाओंमें पढने वाले विद्यार्थियों को पोषण आहार उपलब्ध कराना और उनके पोषण स्तर में सुधार करना।
- ❖ मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की व्यवस्था से जुड़ी गतिविधियें के माध्यम से गॉव की महिलाओं एवं गरीबों के लिए जीविका उपार्जन हेतु स्वरोजगार का निर्माण।

माताओं की सहभागिता :–

जिले में शाला स्तर में माताओं की सहभागिता हेतु माताओं का रोस्टर तैयार कराया गया है।

प्राथमिक शालाओं हेतु निर्धारित मीनू अनुसार भोजन के अवयवों व अन्य आदानों का विवरण

गेहूँ प्रचलन क्षेत्र– रोटी, दाल, सब्जी (प्रति विद्यार्थी /प्रति शैक्षणिक दिवस)

क्रमांक	विवरण
1	100 ग्राम गेहूँ के समतुल्य आटे की रोटियाँ
2	20 ग्राम दाल
3	50 ग्राम सब्जी (हरी एवं पत्तेदार)
4	दाल व सब्जी में छोंक के लिए 5 ग्राम तेल व आवश्यकतानुसार नमक मिर्च मसाले।
5	ईधन आवश्यकतानुसार

माध्यमिक शालाओं हेतु निर्धारित मीनू अनुसार भोजन के अवयवों व अन्य आदानों का विवरण

गेहूँ प्रचलन क्षेत्र– रोटी, दाल, सब्जी (प्रति विद्यार्थी /प्रति शैक्षणिक दिवस)

क्रमांक	विवरण
1	150 ग्राम गेहूँ के समतुल्य आटे की रोटियाँ
2	30 ग्राम दाल
3	75 ग्राम सब्जी (हरी एवं पत्तेदार)
4	दाल व सब्जी में छोंक के लिए 7.5 ग्राम तेल व आवश्यकतानुसार नमक मिर्च मसाले।
5	ईधन आवश्यकतानुसार

MID DAY MEAL

मध्यांह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित मेनू अनुसार प्रदत्त किये जाने वाले भोजन के विविधता के लिए साप्ताहिक विकल्प

गेहूं प्रचलन क्षेत्र :–

सप्ताह का दिन	मेनू
सोमवार	रोटी के साथ तुअर/अरहर की दाल और काबुली चने व टमाटर की सब्जी अथवा हरे मटर व टमाटर की सब्जी
मंगलवार	पूड़ी के साथ खीर और आलू टमाटर की सब्जी
बुधवार	रोटी के साथ चने की दाल और राजमे व टमाटर की सब्जी
गुरूवार	रोटी के साथ तुअर/अरहर की दाल और हरी सब्जी
शुक्रवार	रोटी के साथ मूंग की दाल और हरी सब्जी
शानिवार	रोटी के साथ तुअर/अरहर की दाल और राजमे व टमाटर की सब्जी

मध्यांह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत केन्द्रीयकृत रसोईघर (नांदी फाउण्डेशन जबलपुर) के लिए साप्ताहिक मीनू

सप्ताह का दिन	मेनू
सोमवार	जीरा चांवल के साथ कढ़ी
मंगलवार	रोटी के साथ आलू मटर /छोला/राजमा/देशी चना
बुधवार	वेज पुलाव के साथ मिक्स दाल
गुरूवार	रोटी के साथ आलू मटर /छोला/राजमा/देशी चना
शुक्रवार	जीरा चांवल के साथ कढ़ी
शानिवार	रोटी के साथ मिक्स वेज एवं खीर

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत निर्धारित मात्रा में प्रदाय की जाने वाली रोटी/पुड़ी की संख्या

क्र.	शाला का स्तर	मेनू	रोटी/पूड़ी की संख्या प्रति विद्यार्थी प्रति दिवस
1	प्राथमिक	रोटी के साथ दाल व सब्जी	सामान्य आकार की 3 रोटी एवं पूड़ी वाले दिन कम से कम 04 पूड़ी
2	माध्यमिक	रोटी के साथ दाल व सब्जी	सामान्य आकार की 4 रोटी एवं पूड़ी वाले दिन कम से कम 06 पूड़ी

रसोईयों की पारिश्रमिक राशिः–

वर्ष 2010 जुलाई से 1000/– प्रति रसोईयाँ/ प्रति माह दी जा रही है।

MIDDAY MEAL

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत जबलपुर जिले की महत्वपूर्ण जानकारी

- जबलपुर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कुल प्राथमिक शालाएँ – 1708
- जबलपुर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कुल माध्यमिक शालाएँ – 675
- प्राथमिक शालाओं कुल दर्ज विद्यार्थी संख्या– 157657
- माध्यमिक शालाओं कुल दर्ज विद्यार्थी संख्या– 86917
- ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का संचालन 1635 महिला स्वसहायता समूह द्वारा किया जा रहा हैं ।
- नगरीय क्षेत्र (न0नि0ज0) में – मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का संचालन नांदी फांउडेशन द्वारा किया जा रहा हैं ।

मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत किचिन शेड, कोठी एवं बर्तन की जानकारी

- जिले में प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में कुल स्वीकृत किचिन शेड–2003 ,स्वीकृत राशि–1201.8 लाख
- जिले में प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं 2353 में बर्तन क्रय हेतु राशि 143.17 लाख व्यय की गई।
- जिले में प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में अनाज भंडारण हेतु कोठी क्रय (1क्वि./2क्वि.) हेतु प्राप्त आवंटित राशि 36.73 लाख व्यय की गई।

MDDAS...

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम 2011–12

प्राथमिक/माध्यमिक शाला संख्या एवं दर्ज संख्या की जानकारी

ग्रामीण क्षेत्र :–

क्र.	विकासखण्ड का नाम	प्राथमिक शाला		माध्यमिक शाला	
		शाला संख्या	दर्ज छात्र संख्या	शाला संख्या	दर्ज छात्र संख्या
1	2	3	4	5	6
1	जबलपुर	233	19293	95	10737
2	पनागर	177	16409	65	8722
3	कुण्डम	233	14830	71	8729
4	पाटन	188	13640	74	6754
5	शहपुरा	228	17613	90	9576
6	सिहोरा	134	13732	68	8031
7	मझौली	224	17521	76	9053
योग		**1418**	**113038**	**539**	**61602**

नगर पालिका /नगर पंचायतः–

क्र.	नगर निगम / नगर पालिका/ नगर पंचायत का नाम	प्राथमिक शाला		माध्यमिक शाला	
		शाला संख्या	दर्ज छात्र संख्या	शाला संख्या	दर्ज छात्र संख्या
1	2	3	4	5	6
1	नांदी फाउडेशन (जबलपुर)	238	36227	107	18280
2	बरेला	3	433	2	401
3	भेड़ाघाट	6	758	3	461
4	पनागर	10	1517	5	1367
5	कंटगी	5	951	3	808
6	पाटन	4	688	2	652
7	शहपुरा	5	570	3	688
8	सिहोरा	12	2624	9	1751
9	मझौली	7	851	2	907
योग		**290**	**44619**	**136**	**25315**
महायोग		**1708**	**157657**	**675**	**86917**

MID DAY MEAL

मध्यान्ह भोजन राशि पुर्नरावंटन 2011–12

जनपद पंचायत/ नगर पालिका /नगर पंचायत– प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं हेतु

(माह अप्रैल 11 से सितम्बर तक)

वर्ष 2011–12 हेतु प्राप्त आवंटनः–418.64 (लाख में) एवं माध्यमिक शाला 353.79 (लाख में)

क्र.	विकासखण्ड का नाम	प्राथमिक शाला	माध्यमिक शाला
1	2	3	4
1	जबलपुर	47.40	39.02
2	पनागर	40.27	31.70
3	कुण्डम	36.14	28.64
4	पाटन	33.12	24.21
5	शहपुरा	46.77	34.51
6	सिहोरा	34.35	20.29
7	मझौली	42.51	29.54
योग		**280.56**	**207.91**

नगर पालिका /नगर पंचायतः–

क्र.	नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत का नाम	प्राथमिक शाला	माध्यमिक शाला
1	**2**	**3**	**4**
1	नांदी फाउडेशन (जबलपुर)	52.11	38.16
2	बरेला	1.07	1.46
3	भेड़ाघाट	1.86	1.67
4	पनागर	3.68	4.98
5	कंटगी	2.30	3.04
6	पाटन	1.66	2.35
7	शहपुरा	1.40	2.68
8	सिहोरा	6.32	6.33
9	मझौली	2.06	3.30
योग		**72.46**	**63.97**
महायोग		**353.02**	**271.88**

MID DAY MEAL

मध्यान्ह भोजन खाद्यान्न पुर्नरावंटन 2011–12

जनपद पंचायत/ नगर पालिका /नगर पंचायत– प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं हेतु

(माह अप्रैल 11 से सितम्बर तक)

वर्ष 2011–12 हेतु प्राप्त आवंटनः–प्राथमिक 2616.80 मि.टन एवं माध्यमिक शाला 2097.38 मि.टन

क्र.	विकासखण्ड का नाम	गेहूँ/चांवल	प्राथमिक शाला (मि.टन)	माध्यमिक शाला (मि.टन)
1	2	3	4	5
1	जबलपुर	गेहूँ	124.08	100.92
2	पनागर	गेहूँ	136.47	111.83
3	कुण्डम	गेहूँ	102.26	93.20
4	पाटन	गेहूँ	112.48	90.05
5	शहपुरा	गेहूँ	150.08	116.95
6	सिहोरा	गेहूँ	114.64	78.73
7	मझौली	गेहूँ	137.28	100.05
8	नांदी फाउण्डेशन	गेहूँ	125.01	98.42
		चांवल	120.26	95.67
योग			**1122.61**	**885.86**

सुझाव, शिकायत सम्पर्क हेतु जिला पंचायत के टेलीफोन– 0761– 2624860 एवं टोल फ्री नम्बरः 155343 पर सम्पर्क करे।

MID DAY MEAL